

खण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)


पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
26/02	136 LR Act	बिंदराडी	इबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
बेन्दुडीबाई	बनाम	राजस्थान सरकार	

2021/157

वकील :- श्री रामनिवास वैष्णव      आदेश पत्रक      वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
01 <sup>09</sup> / <sub>21</sub>	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.10.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">28/10/21</p>	
27 <sup>10</sup> / <sub>21</sub>	<p><b>प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021</b></p> <p>पञ्जीवली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत 286 के अन्तर्गत 136 पेश कर ग्राम बिंदराडी के अन्तर्गत सेक्टर 97, 98, व 136 में प्रार्थिका का नाम संतोष के स्थान पर बेन्दुडीबाई दर्ज करने का निवेदन किया है जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार इबडा से ली गई। तहसीलदार इबडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि विशस्त से अतक सम्भारामण के स्थान पर नामांक सं 286 से प्रार्थिका का नाम संतोष बाई राजस्थान रिकार्ड में दर्ज है जो वर्तमान में आज तक चला आ रहा है। ग्राम कांसिमीन से सम्भारामण में प्रस्ताव करने पर बताया कि सम्भारामण के संतोष बाई व संतोष नाम का कोई नारिकान नहीं है सम्भारामण के नारिकान राजेश्वराम, श्रीकिशन, अमृतलाल पुत्र एवं कमला बाई, विमला बाई, मोहनी बाई व बेन्दुडीबाई का भोजपुर नारिकान है तथा संतोष बाई व बेन्दुडीबाई दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः संतोष बाई के स्थान पर संतोष बाई उर्फ बेन्दुडी बाई किया जाना उचित होगा। जिसकी अनुसंधान की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">मुताबिक पटवारी इबडा, मूठ अति. निरीक्षक एवं</p>	

तहसीलदार छबडा की अनुशेषा के आधार पर प्रार्थिका का नाम ग्राम विंदाशडी के खोता सेरवा 97, 98 व 136 में प्रार्थिका मानम सेतोषवाई के स्थान पर ब्रेन्दुडीवाई उर्फ सेतोषवाई करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते हैं। तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। आदेश प्रथम से जारी हो प्रिन्सिपल पेंशल शुभार होकर दारिद्र्यदफ्तर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
छबडा, जिला बारां (राज०)

**“प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021”**

प्राथमिक शिक्षण उपखण्ड अधिकारी

छबड़ा, जिला बारां, (राज.)

**-: आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी इरवेरी व भू.अ.नि. निगनिगां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारां/नामब तहसीलदार बारां की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वि-दारा तहसील बारां जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 97, 98, 136 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>वि-दारा</u>	97 98 136	<u>संतोष पुत्री रामनारायण</u>	<u>वेन्दुडी उर्फ संतोष पुत्री रामनारायण</u>



(मनीषा तिवारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा उपखण्ड अधिकारी

दिनांक 27.10.2021

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/ लेख इरवेरी/97

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार इरवेरी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री वेन्दुडी उर्फ संतोष पुत्री रामनारायण को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(मनीषा तिवारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा उपखण्ड अधिकारी